कॉलेजियम विवाद

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

18 जनवरी, 2019

"निर्णय लेने में एक असामान्य परिवर्तन न्यायिक नियुक्ति प्रणाली को जांच के दायरे में लाता है।"

न्यायिक नियुक्तियों की विवादास्पद कॉलेजियम प्रणाली एक बार फिर सार्वजनिक जांच के अधीन है। इस बार, बेहतर न्यायपालिका के लिए शर्मिंदगी की संभावना बहुत अधिक है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के एक वर्तमान न्यायाधीश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पूर्व बैठक में किए गए निर्णयों पर पुनर्विचार की असामान्य कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की सिफारिश की, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया।

गौरतलब है कि इनसे पहले कॉलेजियम ने ही दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंदराजोग के नाम की सिफारिश की थी। यहाँ सवाल यह है कि जस्टिस मेनन और जस्टिस नंदराजोग के नाम क्यों बदले गए? उनकी जगह दो नए जजों के नाम क्यों तय किए गए? इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया।

यह बुनियादी पारदर्शिता का मामला है कि अगर कॉलेजियम अपनी सिफारिश बदलती है, तो उस बारे में जानकारी सार्वजनिक की जाए। पर इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। तभी सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर सवालिया निशान लग गए हैं।

आधिकारिक कारण 10 जनवरी को एक प्रस्ताव के रूप में सार्वजनिक डोमेन में हैं। यह दावा करता है कि भले ही 12 दिसंबर को कुछ निर्णय किए गए थे, शीतकालीन अवकाश को देखते हुए आवश्यक परामर्श पूरा नहीं किया जा सका। जब 5/6 जनवरी को कॉलेजियम की बैठक फिर से हुई, तो जस्टिस मदन बी. लोकुर के रिटायरमेंट के बाद इसकी रचना बदल गई थी। तब यह निर्णय लिया गया था कि इस मामले पर नए सिरे से विचार करना उचित होगा।

नाम तय करने के आधार और फिर उसे बदल देने का कारण नहीं बताया जाना एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि जस्टिस संजीव खन्ना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं हैं और वे वरिष्ठता क्रम में 33वें स्थान पर हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने अपने यहां जज नियुक्त करने के लिए वरिष्ठता को आधार बनाया है, तो कम से कम उसका पालन होना चाहिए। आमतौर पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होते हैं।

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा कॉलेजियम द्वारा लिए गये निर्णय की संस्थागत प्रकृति को रेखांकित करने में सही हैं। क्या एक जज का रिटायरमेंट किसी सोचे हुए फैसले को वापस लेने का आधार हो सकता है, भले ही कुछ परामर्श अधूरे हों? नवीनतम नियुक्तियों में एक और जिज्ञासु तत्व यह है कि पिछले नवंबर में न्यायमूर्ति माहेश्वरी की जगह इनके जूनियर को वरीयता देते हुए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया और जिन्हें अन्य मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की तुलना में सभी मामलों में अधिक उपयुक्त और योग्य भी पाया गया है।

फिलहाल, वरिष्ठता के अपने सापेक्ष अभाव को छोड़कर जस्टिस खन्ना की पदोन्नति पर कोई आपत्ति नहीं है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि वरिष्ठता सर्वोच्च न्यायालय के लिए सर्वोच्च मानदंड नहीं हो सकती है। हालाँकि, तथ्य यह है कि खुद दिल्ली उच्च न्यायालय में उनके साथ तीन अन्य न्यायाधीश हैं – उनमें से दो मुख्य न्यायाधीश के रूप में कहीं और सेवा कर रहे हैं, जो फिर से कुछ सवाल खड़ा करते हैं। कॉलेजियम प्रणाली की विश्वसनीयता पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है।

कॉलेजियम के सभी प्रस्तावों को सार्वजनिक करने के हालिया अभ्यास से कुछ पारदर्शिता आई है। फिर भी, यह धारणा कि यह रहस्यमय तरीके से काम करता है, इस पर शंका को बनाये रखता है। यह विवाद न्यायपालिका को एक संस्था के रूप में होने के गर्व को धूमिल करता है।

लोगों को यह भरोसा होना चाहिए कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका के कामकाज में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता आए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के सीधे प्रसारण की मंजूरी दे दी है। पारदर्शिता की दिशा में वह एक अहम पहल है। इसके आगे कुछ और कदम उठाने की जरूरत है। कॉलेजियम की बैठकों और उसके फैसलों में भी पारदर्शिता आनी चाहिए।

कॉलेजियम व्यवस्था

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिसों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने की सिफारिश करने पर एक विवाद खड़ा हो गया।
- कॉलेजियम ने राजस्थान और दिल्ली हाईकोर्ट के सीजे प्रदीप नंद्राजोग और राजेंद्र मेनन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश का फैसला लिया था। लेकिन बाद में 5-6 जनवरी को इन दोनों की जगह कॉलेजियम ने दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की।
- खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, जबकि माहेश्वरी कर्नाटक हाईकोर्ट से हैं।

क्या है?

- देश की अदालतों में जजों की नियुक्ति की प्रणाली को 'कॉलेजियम व्यवस्था' कहा जाता है।
- 1990 में सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों के बाद यह व्यवस्था बनाई गई थी। कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मुख्यन्यायाधीश के नेतृत्व में बनी वरिष्ठ जजों की समिति जजों के नाम तथा नियुक्ति का फैसला करती है।
- सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति तथा तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है।
- हाईकोर्ट के कौन से जज पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यह फैसला भी कॉलेजियम ही करता है।
- कॉलेजियम व्यवस्था का उल्लेख न तो मूल संविधान में है और न ही उसके किसी संशोधन प्रावधान में।

पृष्ठभूमि

- यह सिस्टम 28 अक्टूबर, 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए प्रभाव में आया था।
- कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक फोरम जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है।
- कॉलेजियम की सिफारिश मानना सरकार के लिए जरूरी होता है।
- UPA सरकार ने 15 अगस्त, 2014 को कॉलेजियम सिस्टम की जगह NJAC (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) का गठन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर, 2015 को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) कानून को असंवैधानिक करार दे दिया था।
- इस प्रकार वर्तमान में भी जजों की नियुक्ति और तबादलों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम ही करता है।
- NJAC का गठन 6 सदस्यों की सहायता से किया जाना था, जिसका प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बनाया जाना था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जजों, कानून मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ीं 2 जानी-मानी हस्तियों को सदस्य के रूप में शामिल करने की बात थी।
- NJAC में जिन 2 हस्तियों को शामिल किए जाने की बात कही गई थी, उनका चुनाव सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष का नेता नहीं होने की स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता वाली कमिटी करती है । इसी पर सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा आपत्ति थी।

कॉलेजियम सिस्टम और एनजेएसी में अंतर?

- एनजेएसी (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) सरकार द्वारा प्रस्तावित एक संवैधानिक संस्था है, जिसे जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेने के लिए बनाया गया था। वहीं, कॉलेजियम सिस्टम के जरिये पिछले 22 साल से जजों की नियुक्ति की जा रही है।
- एनजेएसी में 6 सदस्यों का प्रस्ताव था। देश के चीफ जस्टिस को इस आयोग का प्रमुख बनाने की बात कही गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जजों, कानून मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ीं 2 जानी-मानी हस्तियों को बतौर सदस्य शामिल करने की बात थी।
- कॉलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक फोरम जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है।
- संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का कहीं जिक्र नहीं है। यह सिस्टम 28 अक्टूबर, 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए प्रभाव में आया था।
- एनजेएसी में जिन 2 हस्तियों को शामिल किए जाने की बात कही गई थी, उनका चुनाव चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष का नेता नहीं होने की स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता वाली कमेटी करती।
- इसी पर सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा ऐतराज था। एनजेएसी को चुनौती देने वाले लोगों ने दलील दी थी कि जजों के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट का नया कानून गैर-संवैधानिक है।
- इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। वहीं केन्द्र ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि 20 साल से ज्यादा पुराने कॉलेजियम सिस्टम में कई खामियां थीं।

विशेषज्ञों का तर्क?

- देश की मौजूदा कॉलेजियम व्यवस्था "पहलवान का लड़का पहलवान" बनाने की तर्ज पर "जज का लड़का जज" बनाने की जिद करके बैठी है।
- भले ही इन जजों से ज्यादा काबिल जज न्यायालयों में मौजूद हों। यह प्रथा भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश के लिए स्वास्थ्यकर नहीं है।
- कॉलेजियम सिस्टम का कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है। इसलिए सरकार को इसको पलटने के लिए कोई कानून लाना चाहिए ताकि भारत की न्याय व्यवस्था में काबिज कुछ घरानों का एकाधिकार खत्म हो जाये।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कॉलेजियम व्यवस्था में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक फोरम जजों की नियुक्ति की सिफारिश करता है।
2. भारत के मूल संविधान में कॉलेजियम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, इसे अक्टूबर, 1998 में तीन जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिये प्रभाव में लाया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the following statements regarding

1. The collegium system, a forum of Chief Justice and four senior judges recommends for the appointment of judges.
2. There is a mention of collegium system in the Original Constitution which came into effect through decision in the case of three judges in 1998.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) 1 and 2 Both (d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: "हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति को लेकर उठे विवाद के संदर्भ में न्यायिक नियुक्ति प्रणाली में 'कॉलेजियम प्रणाली' का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

Q. Critically analyse the collegium system in judicial appointment system related to the controversy over the recent appointment of judges in the supreme court. (250 Words)

नोट : 17 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2. (d), 3 (d) होगा।

GS World
Committed To Excellence